

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/कार्मिक/2017/ 105

रीवा, दिनांक : 15.02.2017

अधिसूचना

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 02.02.2017 को पांच सेवायें तथा दिनांक 16.01.2017 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 13 में चार सेवायें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत घोषित की गई हैं।

अतः उपरोक्त सेवाओं के परिपालन हेतु एतद् द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :-

क्र.	सेवा क्रमांक	सेवा का नाम	समय-सीमा, कार्य दिवस
1	21.1	नामांकन/माइग्रेशन प्रमाण-पत्र प्रदान करना	03 कार्य दिवस
2	21.2	प्रोवीजनल उपाधि/डुप्लीकेट अंकसूची प्रदान करना	02 कार्य दिवस
3	21.3	अंकसूची में सुधार/नाम/उपनाम (सरनेम) सुधार करना।	02 कार्य दिवस
4	21.4	शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदान करना।	15 कार्य दिवस
5	21.5	शोध प्रबंध (Thesis) प्रस्तुति के पश्चात पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेना।	180 कार्य दिवस
6	-	उत्तर पुस्तिका का अवलोकन	05 कार्य दिवस
7	-	काशनमनी का भुगतान	05 कार्य दिवस
8	-	टी.सी. जारी करना	05 कार्य दिवस
9	-	चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना सत्यापन कार्य	05 कार्य दिवस

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष प्रशासनिक एवं शैक्षणिक विभाग, अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय रीवा।
2. डॉ. पी.के. राय, सिस्टम इंचार्ज कृपया उपरोक्त सेवाओं को वि.वि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
3. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

15.2.17
उप-कुलसचिव (कार्मिक)